प्रेस नोट　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　दिनांक 11.08.2024

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा फायरिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर बरामद

दिनांक 10.08.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी श्री सोनू शर्मा पुत्र दुष्यंत शर्मा नि0 ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद के द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 09.08.2024 को गाडी खडी करने को लेकर अभियुक्त लविश शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गा0 बाद व वादी के भाई की बीच कहासुनी हो गयी थी फिर ग्राम के लोगो द्वारा समझौता करा दिया गया। अगले दिन अभियुक्त लविश शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा अवैध तमंचे से जान से मारने की नियत से वादी व वादी के भाई के ऊपर फायर किया गया, प्राप्त तहरीर पर थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से टीमों को गठित कर रवाना किया गया।
तत्पश्चात दिनांक 10.08.24 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त लविश शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि दिनाक 09.08.2024 को मेरी सोनू शर्मा के भाई पौरूष से रास्ते मे गाडी हटाने को लेकर कहासुनी हो गयी थी तो मौके पर मौजूद लोगो ने हमे अपने अपने घर भेज दिया था। दिनाक 10.08.2024 को जब मै घर जा रहा था तो रास्ते मे सोनू शर्मा व उसके भाई ने मुझे देखकर अपशब्द कहे, इस पर गाली गलौच शुरू हो गयी थी। पड़ोस के कुछ लोगो ने सोनू व उसके भाई को वहा से घर भेज दिया था इतने मे मैने अपने घर के छत पर जाकर अपने तंमचे से इन लोगो के ऊपर फायर कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
लविश शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा नि0 ग्राम कनौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगीः-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर

आपराधिक इतिहास -
अभियुक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर छेडखानी का 01 अभियोग तथा थाना मुरादनगर पर मारपीट व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण कर शातिर लूटेरा गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 02.08.24 को थाना निवाड़ी पर वादी राहुल पुत्र अशोक भारती पता- बेगमाबाद बुदाना थाना मोदीनगर ने तहरीर दी कि कल जब मैं अपनी डियूटी से वापस आ रहा था तो 02 अज्ञात मोटर साइकिल सवार लडकें मेरी मोटर साइकिल छीनकर ले गये है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण करने व अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया ।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के माध्यम से संदिग्धों की पहचान कर उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया तथा दिनांक 11.08.24 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजन पुत्र ऋषिपाल निवासी गली नं0 03 सैनिक विहार कंकरखेडा थाना कंकरखेडा मेरठ को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से लूटी गयी मोटर साइकिल बरामद हुई । आवश्यक वैधानिक कार्वयाही की जा रही है ।
पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने, अमित कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम बखरवा थाना मोदीनगर गाजियाबाद के साथ मिलकर एक मोटर साइकिल सवार को रोककर व डरा धमका कर उसकी मोटर साइकिल व मोबाइल छीन लिया था । उस मोटर साइकिल को मैं लेकर चला गया था व लूटा हुआ मोबाइल अमित लेकर चला गया था ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

राजन पुत्र ऋषिपाल निवासी गली नं0 03 सैनिक विहार कंकरखेडा थाना कंकरखेडा मेरठ, उम्र करीब 35 वर्ष,

बरामदगी का विवरण-

लूटी गयी मोटर साइकिल,

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मेरठ में मारपीट का 01 अभियोग व चोरी का 01 अभियोग तथा थाना निवाड़ी पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.08.2024 को थाना लोनी पर वादी इरफान सैफी पुत्र अजीज अहमद सैफी निवासी खसरा न0 383 साहिल सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद ने तहरीर दी कि मेरे पुत्र अरशद को असलम आदि ने धारदार छूरी से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया है जिसको डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है ।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी ।

तत्पश्चात दिनांक 11.08.24 को थाना लोनी पुलिस द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त खुर्शीद उर्फ मुन्ना पुत्र बसीर निवासी जैन कालोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष को पुस्ता चौराहे से गिरफ्तार किया गया अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि हमारा हमारे पडोस में रहने वाले इरफान सैफी पुत्र अजीज अहमद सैफी निवासी खसरा न0 383 साहिल सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद के साथ प्लाट में भैंस बांधने को लेकर विवाद हो गया था इसी बात को लेकर मैने, सलमान व अफरीद के साथ मिलकर मौका देखकर इरफान के पुत्र अरशद को चाकू मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था तथा बाद में हमें पता चला था कि अरशद की मृत्यु हो गयी है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

खुर्शीद उर्फ मुन्ना पुत्र बसीर निवासी जैन कालोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 48 वर्ष,

<u>आपराधिक इतिहास –</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना लोनी पुलिस टीम।

POLICE CRACKDOWN
कमिश्नरेट गाजियाबाद.....
दिनांक 11.08.2024

थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत हुई चैन स्नैचिग/लूट की घटनाओं का हुआ अनावरण,पुलिस मुठभेड के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार/घायल,कब्जे से घटनाओं से सम्बन्धित 01 मोबाइल फोन,02 चैन पीली धातु,15 हजार रुपये व घटनाओं में प्रयुक्त स्कूटी बरामद,अभियुक्त के विरुद् जनपद गाजियाबाद व नोएडा में लूट की घटनाओं से सम्बन्धित लगभग दो दर्जन अभियोग है पंजीकृत।

घटना / कार्यवाही का विवरण - विगत दिनों थाना इंदिरापुरम व कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत चैन स्नैचिग/मोबाइल लूट की घटनायें कारित हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना इंदिरापुरम व कौशाम्बी पर अभियोग पंजीकृत किये गये थे जिनके अनावरण हेतु थाना इंदिरापुरम/कौशाम्बी पर गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्त की पहचान कर तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 11.08.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर रुप चौधरी कट के पास सेक्टर 16 वसुंधरा/अटल चौक पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी स्कूटी सवार 01 युवक आता दिखायी दिया जिसे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन मुडकर भागने लगा पुलिस टीम

द्वारा घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए स्कूटी सवार युवक को स्कूटी सहित पकडा गया तो उसने अपना नाम पुनीत सहरावत पुत्र विनोद कुमार हाल पता सी-2 म0न0 684 गली नं0- 16 हर्ष बिहार दिल्ली स्थाई निवासी ग्राम नीमका थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष बताया जिसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से कुल एक मोबाइल फोन,02 चेन पीली धातु एंव कुल 15 हजार रुपये बरामद हुए जिनके बारे मे गहनता से पूछताछ की गई तो बताया गया कि एक चेन मैनें बीजेपी पार्षद कार्यालय वैशाली तथा एक चेन मैने वसुंधरा सेक्टर 11 से करीब 05-06 दिन पहले छीनी थी। बरामद फोन के बारे मे गिरफ़्तार अभियुक्त पुनीत उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि यह फोन मैने परशुराम चौक वसंधरा से छीना था। अभियुक्त से बरामद 15,000/-रुपये के बारे पूछा गया तो बताया गया कि मै फोन व चेन स्नैचिंग करता रहता हूँ जिनको बेचकर यह पैसे मैनें इकट्ठे किये हैं।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण एंव अग्रिम कार्यवाही का विवरण- गिरफ्तार शुदा अभियुक्त पुनीत उपरोक्त से गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि मै घटना करते समय तमंचा रखता हू जिसे मैने झाडी मे छिपाकर रखा है। सूचना पर अवैध असलहा की बरामदगी हेतु अभियुक्त पुनीत उपरोक्त को बताये गये स्थान पर ले जाया गया तो अभियुक्त पुनीत सहरावत उपरोक्त ने उक्त अवैध असलहा से बरामदगी के समय मौका देखकर पुलिस टीम पर उक्त असलहे से फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त पुनीत उपरोक्त घायल हो गया। अभियुक्त पुनीत उपरोक्त से एक अवैध तमंचा .315 बोर एक कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त पुनीत को उपचार हेतु अस्तपाल में भर्ती कराया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

पुनीत सहरावत पुत्र विनोद कुमार हाल पता सी-2 म0न0 684 गली नं0-16 हर्ष बिहार दिल्ली स्थाई निवासी ग्राम नीमका थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पुनीत उपरोक्त-

1 जनपद गाजियाबाद मे लूट की घटनाओ से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग कुल 16

2 जनपद नोएडा/गौतमबुद्दनगर मे लूट की घटनाओ से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग कुल 04

3 जनपद सहारनपुर मे 01 चोरी का अभियोग

बरामदगी का विवरण-

1-एक मोबाइल फोन घटना से सम्बन्धित

2-02 चैन पीली धातु की घटनाओं से सम्बन्धित

3- 15 हजार रुपये विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित

4 -एक स्कूटी घटनाओं मे प्रयुक्त

5- एक अवैध असलाह,01 खोखा कारतूस,01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम